

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0स0 :-2/अ0प्र0-5-02/2020

1230


/पटना, दिनांक :- 30.6.2020

राज्य सूचना आयोग के वाद सं0- A8156/2019 श्री आशीष भारद्वाज बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया मामले में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 26.11.2019 को पारित आदेश में अपीलार्थी को लगभग सात माह विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराने के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने पर विचार करने का निदेश दिया गया।

2. उक्त के आलोक में श्री अरविन्द कुमार, लोक सूचना पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया से विभागीय पत्रांक-491 (अनु0) दिनांक 07.02.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई।

3. श्री कुमार के पत्रांक 356 दिनांक 20.02.2020 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी द्वारा जोकीहाट प्रखंड के सैफुल्लाह टोला से सैफुल्लाह तक सड़क निर्माण में रेलवे की जमीन के संबंध में सूचना माँगी गयी थी। उक्त जमीन की मापी हेतु अंचल अधिकारी, जोकीहाट से अनुरोध किया गया था। मापी प्रतिलिपि प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी को विलम्ब से सूचना उपलब्ध करायी गयी।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में समीक्षोपरान्त श्री अरविन्द कुमार, लोक सूचना पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया को ऐसे मामले में भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी संसूचित की जाती है।



(संजय दुबे)

अपर सचिव

ज्ञापक :-2/अ0प्र0-5-02/2020

1230

/पटना, दिनांक :- 30.6.2020

प्रतिलिपि:- उप सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-15, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अरविन्द कुमार, लोक सूचना पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव